

मुख्यालय,कर्मचारी राज्य बीमा निगम Headquarters, Employees' State Insurance Corporation पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110002 Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi – 110 002

संख्या:- एन.12 / 13 / 02 / 2010-यो. एवं वि.

दिनांक:- 26 / 06 / 2012

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रभारी) कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय

विषय:- कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 में संशोधन-अधिस्चना।

महोदय,

दिनांक 07.05.2012 की अधिसूचना संख्या एन–12/13/2/2010—/यो. एवं वि. जो कि भारत के र जपत्र (असाधारण), संख्या 148 भाग—3, खण्ड—4, में दिनांक जून 15, 2012 को प्रकाशित हुई है, की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः यथोपरि।

(एच.के. मेहता) उप निदेशक (यो. एवं वि.)

प्रतिलिपिः उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- 1. अपर आयुक्त (हितलाभ), क.रा.बी. निगम, मुख्यालय।
- 2. अपर आयुक्त (प्रणाली), क.रा.बी. निगम, मुख्यालय।
- 3. मुख्यालय कार्यालय के सभी अधिकारी -----
- 4. प्रणाली शाखा-कृपया इसे वेबसाइट में डालें।
- 5. मद्रास बुक एजेंसी, 7 फर्स्ट क्रास स्ट्रीट, साउथ हाई कोर्ट कालोनी, विलीवक्कम, चेन्नई—600049।

संलग्नः यथोपरि।

(एच.के. मेहता) उप-निदेशक (यो. एवं वि)


Desktop/search for files/find/steno

26/6/12

HRA Sazette of India

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



H. 148]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012/ज्येष्ठ 25, 1934 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2012

सं. एन-12/13/2/2010-यो. एवं विकास.—जबिक कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में और संशोधन करने के कितपय मसौदा विनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4, दिनांक/12 मार्च, 2012 में इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिनमें उक्त, अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अविध की समाप्ति तक, आपित्तयाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे।

तथा जबिक उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 12 मार्च, 2012 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी । तथा जबिक इस संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपित्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

इसिलए अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैं:-

- 1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) (संशोधन) विनियम, 2012 कहे जाएंगे ।
- 2) ये 1 जुलाई, 2012 से लागू होंगे ।
- 3) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण)विनियम, 1950 में;

26/7/12

3/2012

- 1. विनियम ४४ में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए;
 - "बशर्ते कि स्थायी अपंगता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के मामले में केवल प्रथम भुगतान के लिए ही दावा किया जाना अपेक्षित होगा तथा अनुवर्ती आवधिक भुगतानों के लिए कोई दावा अपेक्षित नहीं होगा ।"
 - 2. विनियम 76-क में, "स्थायी अपंगता हितलाभ का दावा करने हेतु प्रथम भुगतान के मामले के अलावा फॉर्म-14 में एक या अधिक पूर्ण कैलेण्डर माहों की अवधि का दावा" शब्दों को "स्थायी अपंगता हितलाभ का प्रथम भुगतान प्राप्त करने के लिए फार्म-14 में दावा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।
 - 3. विनियम-83-क में;
 - i) "आश्रितजन हितलाभ के आवधिक भुगतानों के दावों का प्रस्तुतीकरण--" शीर्षक को "आश्रितजन हितलाभ के दावे का प्रस्तुतीकरण--" शीर्षक से प्रतिस्थापित किया जाए।
 - ii) "प्रथम अथवा अंतिम भुगतान के मामले के अलावा फार्म-16 में एक या अधिक पूर्ण कैलेण्डर माहों की अविध का दावा" शब्दों को "आश्रितजन हितलाभ का प्रथम भुगतान प्राप्त करने के लिए फार्म-16 में दावा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।
 - 4. विनियम 107 में "छः माह के अंतराल पर दिसम्बर और जून के दावे के साथ" शब्दों को "जनवरी में" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए ।
 - 5. विनियम 107-क में "छः माह के अंतराल पर दिसम्बर और जून के दावे के साथ" शब्दों को "जनवरी में" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए ।
 - 6. विनियम 107-ख में "प्रत्येक छह माह में" शब्दों को "प्रत्येक वर्ष" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।
 - 7. मौजूदा फार्म-14 और फार्म-16 को संलग्न नए फार्म-14 और फार्म-16 से प्रतिस्थापित किया जाए ।

बी. के. साहू, बीमा आयुक्त [विज्ञापन-III/4/असाधारण/94/12]

पंजीकृत फार्म-14

स्थायी अपंगता हितलाभ का दावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (विनियम 76-क)

आवश्यक: यदि कोई व्यक्ति स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए हितलाभ प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मिथ्या विवरणी अथवा अन्यथाकथन प्रस्तुत करता है तो वह छह मार्है की अवधि तक विस्तार-योग्य कारावास अथवा 2,000 रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों के दण्ड-योग्य अपराध करता है।

आश्रितजन हितलाभ का दावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (विनियम 76-क)

गुतक कर्मचारी का नाम	बीमा संख्या	
रेउपर्युक्त मृतक कर्मचारी व	का (रिश्ता)	होने के नाते तथा उनका
गिश्रतजन होने के नाते भी एतद्द्वारा आश्रितजन हितलाभ का व	दावा करता/करती हूँ ।	
इसे देय राशि का भुगतान नीचे दिए गए मेरे बैंक के विवरण के	5 अनुसार ई सी एस(इलेक्ट्रॉ	निक क्लीयरिंग सिस्टम) द्वारा
ाथवा शाखा कार्यालय में नकद किया जाए ।		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
क का नाम	•	
गाखा का नाम	•	
बाता संख्या		
रम आई सी आर संख्या		
नैं यह भी घोषणा करता हूँ कि		
'(i) मैंने अब तक विवाह */पुनःविवाह नहीं किया है (केवल महि	ला आश्रित के मामले में अनु	प्रयोज्य)
^k (ii) मैंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है(अवयस्क पुरुष/महिल	ला आश्रित के मामले में अनुप्र	योज्य)
^k (iii) मैं अभी निःशक्त हूँ	-	
किवल 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वैध/दत्तक*निशक्त पुर	त्र अथवा वैध/दत्तक*अविवा	हित निशक्त पुत्री के मामले में
अनुप्रयोज्य है । दावा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र यदि अ	गपेक्षित हो, के साथ किया ज	ਾਦ)
रेगांक रेगांक		
, ση(α)		
		दावेदार के हस्ताक्षर या
	वर्तमान पता	अंगूठे का निशान

	कृते	(अवयस्क आश्रितजन के लिए)
	•••••••	(अपवस्क आश्रवजन के गिध्यम से
	● उनके/उनकी	(अभिभावक का नाम)
	крескиес.	(अवयस्क के साथ रिश्ता)
*जो लागू न हो उसे काट दें।		

^{**} बालिग आश्रितजन के दावे के मामले में अनुप्रयोज्य ***अवयस्क आश्रितजन के दावे के मामले में अनुप्रयोज्य {कृपया क.रा.बी.(केंद्रीय)नियम 1950 के नियम 58 का उल्लेख करें}

W.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2012

No. N-12/13/2/2010-P&D.—Whereas cetain draft regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, were published as required under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 12th March, 2012 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to be public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th March, 2012;

And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this regard;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 97 of the Employees' **State Insurance** Act, 1948, the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the **following** regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, **1950**, namely: -

- 1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance (General) (Amendment) Regulations, 2012.
- 2) They shall come into force from 1st July, 2012.
- 3) In the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- 1. In regulation 44, the following proviso may be added;

"Provided that in case of permanent disablement benefit and dependents' benefit, claim shall be required to be made only for the first payment and no claim shall be required for subsequent periodical payments."

2128 91712-2

- 2. In regulation 76-A, the words, "a claim, covering, except in the case of a first payment, a period of one or more complete calendar months in Form 14 for claiming permanent disablement benefit." shall be substituted with the words, "a claim, for receiving the first payment of permanent disablement benefit in Form-14."
- 3. In regulation-83-A;
 - i) the heading "Submission of claims for periodical payments of dependants' benefit. —", shall be substituted by the heading "Submission of claim for dependants' benefit. —"
 - ii) the words, "a claim covering, except in the case of first or a final payment, a period of one or more complete calendar months in Form 16" shall be substituted with the words, "a claim for receiving first payment of dependants' benefit in Form 16."
- 4. In regulation 107; the words, "at six monthly intervals, with the claim for December and June" shall be substituted with the words, "in January"
- 5. In regulation 107-A, the words, "at six monthly intervals, with the claim for December and June" shall be substituted with the words, "in January"
- 6. In regulation 107-B, the words, "in every six months", shall be substituted with the words, "every year."
- 7. Existing Form-14 and Form-16 shall be substituted with the enclosed new Form-14 and Form-16.

B. K. SAHU, Insurance Commissioner [ADVT-III/4/Exty./94/12]

REG. FORM-14

CLAIM FOR PERMANENT DISABLEMENT BENEFIT EMPLOYEE.S STATE INSURANCE CORPORATION (Regulation 76-A)

Insurance No having been declared as permanently disabled by the Medical Board/Medical Appeal Tribunal/Employees' Insurance Court, claim Permanent Disablement
Benefit accordingly.
The amount due may be paid to me by ECS as per details of my Bank given below or in cash at Branch Office:
Name of the Bank
Branch name
A/C number
MICR number
Signature or Thumb impression of the Claimant
Name in block letters
Dated

Important: Any person who makes a false statement or misrepresentation for the purpose of obtaining benefit, whether for himself or for some other person, commits an offence punishment with imprisonment for a term which may extend up to six months or with a fine up to Rs. 2,000 or with both.

REG. FORM-16

CLAIM FOR DEPENDANTS BANEFIT EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Regulation 83-A)

Name of the deceased employee	<u></u>	Ins. No	<u> </u>
<u> </u>	eing the	(relationsh	ip) of the
above-named deceased employee an	d also being his/he	er dependant, do hereby clair	n Dependants'
Benefit .			
The amount due may be paid to me by	y ECS as per deta	ils of my Bank given below o	in cash at Branch office:
Name of the Bank			
Branch name		•	
A/C number	•		
MICR number			
I also declare that .	-		
(i) I have not married/re-married, so	far (Applicable onl	ly in case of a female depend	ant).
*(ii) I have not attained the age of 18 y	ears (Applicable in	n case of minor male/female	dependant)
*(iii) I am still infirm.			
(Applicable only in case of a legitimate has attained the 25 years of age.	•	-	
Date			
		•	Signature or Thumb-impression of the Claimant
		Present Add	ress
		·	ck letter of Claimant/Guardian. or Signature or Thumb-impression of the Claimant
		for	(name of the minor Dependant)
		through_	
		his/her	(name of the Guardian)
			(relationship with the Minor)
*Please strikeout whichever is not ann			

^{*}Please strikeout whichever is not applicable.

^{**}Applicable in the case of a claim by a major Dependant.

^{***}Applicable in the case of a claim for a minor dependant. [Please refer to Rule 58 of the ESI (Central) Rules 1950]